भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 977

उत्तर देने की तारीख 2 दिसंबर, 2024

सोमवार, 11 अग्रहायण 1946 (शक)

युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना

977. श्री आलोक शर्मा: डॉ. राजकुमार सांगवान: श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से युवाओं की रोजगार क्षमता में हुए महत्वपूर्ण सुधार का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विभिन्न संस्थाओं के साथ साझेदारी के माध्यम से भारतीय कार्यबल का व्यापक कौशल विकास करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार का स्नातक छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी प्रस्ताव क्या है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग में रोजगार की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस 2023-24) अनुमानों के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 17.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2 प्रतिशत रह गई है।

(ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के द्वारा कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर की महिलाओं और समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, सरकारी स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कौशल केंद्रों की स्थापना करके, अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे के साथ व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है।

(ग) सरकार ने पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्रौद्योगिकी-संचालित पाठ्यक्रम को एकीकृत किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन और इंडस्ट्री 4.0 जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आईआईटी और निजी तकनीकी कंपनियों जैसे संस्थानों के साथ सहयोग से उभरती प्रौद्योगिकियों में उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण सुनिश्चित होता है। पहुँच को बढ़ाने के लिए डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल और मिश्रित प्रशिक्षण प्रारूप अपनाए जा रहे हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए एक भंडार के रूप में कार्य करता है। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में उच्च मांग वाली भूमिकाओं के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 29 आधुनिक युग या भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(घ) आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग में रोजगार की मांग को पूरा करने और युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियमन और मानक स्थापित करने वाले एक व्यापक विनियामक के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की गई है।

(ii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग-मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करें और उन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण 2015 के अनुसार पहचाने गए व्यवसायों के साथ मैप करें और उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

(iii) एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार-मांग को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) स्थापित किए गए हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है।

(iv) प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक वातावरण में आईटीआई छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(v) एनएपीएस के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण और शिक्षुता कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ जुड़ाव बढ़ाने को बढ़ावा दिया जाता है।

(vi) भारत सरकार ने कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में बारह देशों के साथ समझौता ज्ञापन/सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(vii) डीजीटी ने राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर संस्थानों के लिए उद्योग संबंध सुनिश्चित करने और नए जमाने के पाठ्यक्रमों में कभी भी, कहीं भी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस), माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(viii) बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत एनएसडीसी प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो कौशल पाठ्यक्रमों को उद्योग की मांग के साथ सहयोग और संरेखित करते हैं।

(ix) उद्योग 4.0 की आवश्यकता को पूरा करने वाली भविष्य के लिए तैयार जॉब रोल्स, ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के तहत, उभरती प्रौद्योगिकियों में भावी जॉब रोलों की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

(x) स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल को कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में स्थापित किया गया है।

******